संख्या- ए. 20011/04/2015-हिंदी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

खंड-9, कें.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3
दिनांक- 03 दिसम्बर, 2020

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 14.10.2020 को सीमा सुरक्षा बल, महानिदेशालय के किए गए राजभाषा निरीक्षण के दौरान बताए गए बिंदुओं पर समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के अनुभागों एवं अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर संयुक्त सचिव (सी.आई.सी.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 14.10.2020 के पत्र संख्या 11020/02/2020-रा.भा. (समिति) में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के सभी अनुभागों एवं कार्मिकों के द्वारा निम्नलिखित अनुवर्ती कार्रवाई करनी अपेक्षित है:-

i. कार्यालय की वेबसाइट पूर्णतया द्विभाषी होनी चाहिए और इसे पहले हिंदी में तथा बाद में लिंक के माध्यम से अंग्रेजी में खुलना चाहिए ताकि हिंदी के हिट्स अंग्रेजी के हिट्स की तुलना में अधिक हो।

ii. 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी के पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाना चाहिए। जिन पत्रों का जवाब देना अपेक्षित नहीं है उनकी पावती हिंदी में दी जानी चाहिए, इससे अनुभागों के हिंदी पत्राचार में वृद्धि होगी।

iii. सभी कार्मिकों द्वारा अपना नाम संक्षिप्त अक्षर के स्थान पर पूरा लिखा जाना चाहिए (जैसे- डी. के. उपाध्याय के स्थान पर दिनेश कुमार उपाध्याय आदि)।

iv. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी कार्मिकों को अपना सरकारी काम-काज 100 प्रतिशत हिंदी में ही करने का सार्थक प्रयास करना चाहिए। राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, या यदि वह यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उस कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। अत: ऐसे सभी कार्मिकों द्वारा अपना सरकारी काम-काज 100 प्रतिशत हिंदी में करने का प्रयास करना चाहिए ।

v. कार्यालय में स्थापित सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) टंकण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सभी अनुभाग अधिकारी और अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के प्रभारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अनुभाग/केन्द्र में स्थापित सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टंकण करने की सुविधा उपलब्ध है।

2/-

vi. सभी कार्यालय प्रमुखों द्वारा संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में (पृष्ठ संख्या 32 से 44 तक) दिए गए सभी निर्देशों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों और अनुदेशों का भली-भांति अध्ययन करना चाहिए।

vii. कार्यालय में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में हिंदी के पद सृजित किये जाने चाहिए और रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए ।

2. उपर्युक्त के संबंध में निदेशालय के सभी अधिकारियों /अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने अनुभाग में इन बिंदुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग को 10 दिसम्बर 2020 तक अवगत करवाने का कष्ट करें।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

03.12.2020

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

<u>प्रतिलिपि</u>.

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव : सादर सूचनार्थ ।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय)/अपर निदेशक (प्रचालन) के निजी सचिव : सादर सूचनार्थ
3. निदेशालय के सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक
4. सभी अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी, स.नि.पु.बे.
5. सहायक निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली
6. सहायक निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली
7. सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) - आवश्यक करवाई तथा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/केन्द्र अधीक्षक : विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
9. कार्यालय प्रति।

<u>प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ</u>.

1. निदेशक (राजभाषा) : गृह मंत्रालय के दिनांक 14.10.2020 के पत्र संख्या 11020/02/2020 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
   गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. II बिल्डिंग - रा.भा. (समिति)
   जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11001